

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2019/

दिनांक:

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री अरुण कुमार अधीक्षक रेडियोग्राफर	सेठ रामविलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन, बड़ी, उदयपुर।	22.11.1959	30.11.2019
2.	श्री नन्द कुमार शर्मा अधीक्षक रेडियोग्राफर	राजकीय सामान्य चिकित्सालय नागौर।	15.3.1960	31.3.2020

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

॥


(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2019/278

दिनांक: 21.8.19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन विभाग उदयपुर / अजमेर।
3. अधीक्षक सेठ रामविलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन, बड़ी, उदयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नागौर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई राशि बकाया हो तो उसकी वसूली कर तत्काल निदेशालय को अवगत करावें।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर